

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—271 / 2016 / 223 (2016 / 00271)

1. प्रभू पुत्र शौचन्द, जाति जाट, नि० ग्राम चाट, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 18.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 119 / 2015.

उपस्थित:—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोंडेंट ।

निर्णय

दिनांक:—31.8.2018

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 के विरुद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी ने अधी०न्याया० में वाद अंतर्गत धारा 88, 188, राज०काश्त०अधि० सपटित धारा 136 राज०भू-राजस्व अधि० 1956 के तहत विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण की क्रयशुदा खातेदारी काश्तकारी की भूमि वाकै मौजा भटियानी, तह० नसीराबाद में स्थित आराजियात चौसाला खसरा नंबर 6 ब रकबा 120 बिस्वा, खसरा नंबर 7 ब रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 10 ब रकबा 3 बीघा के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन वर्किंग खसरा नंबर 6 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 56 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा में से 20 बीघा भूमि वादी ने क्रय की थी जो क्रेता/वादी के नाम से चौसाला जमाबंदी में दर्ज की गई थी किन्तु वर्किंग जमाबंदी में 20 बीघा भूमि दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग एवं राजस्व अधिकारियों ने अपने अधिकारों से परे जाकर मौका एवं रिकार्ड की अनदेखी करते हुए उपरोक्त 20 बीघा भूमि को रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा दर्ज की तत्पश्चात् पुन' गैर कानूनी तरीके से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नंबर 52 रकबा 2.04 है०,

खसरा नंबर 53 रकबा 0.75 है0, खसरा नंबर 46 रकबा 1.18 है0 में से हाल खसरा नंबर 46 रकबा 1.18 है0 में से 0.41 है0 भूमि वादी के नाम चौसाला जमाबंदी अनुसार दर्ज करने के बजाय सरकारी दर्ज कर दी । अतः वाद वादी स्वीकार कर उक्त गलत अंकन को दुरुस्त किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने से पूर्व वादी को साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया । विवादित भूमि चौसाला खसरा नंबर 6 ब रकबा 120 बिस्वा, खसरा नंबर 7 ब रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 10 ब रकबा 3 बीघा के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन वर्किंग खसरा नंबर 6 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 56 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा में से 20 बीघा भूमि वादी ने क्य की थी जो क्रेता/वादी के नाम से चौसाला जमाबंदी में दर्ज की गई थी किन्तु वर्किंग जमाबंदी में 20 बीघा भूमि दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग एवं राजस्व अधिकारियों ने अपने अधिकारों से परे जाकर मौका एवं रिकार्ड की अनदेखी करते हुए उपरोक्त 20 बीघा भूमि को रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा दर्ज की तत्पश्चात् पुनः गैर कानूनी तरीके से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नंबर 52 रकबा 2.04 है0, खसरा नंबर 53 रकबा 0.75 है0, खसरा नंबर 46 रकबा 1.18 है0 में से हाल खसरा नंबर 46 रकबा 1.18 है0 में से 0.41 है0 भूमि वादी के नाम चौसाला जमाबंदी अनुसार दर्ज करने के बजाय सरकारी दर्ज कर दी । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना तथा वादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण को कैम्प में रखकर निर्णित कर दिया । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना कैम्प में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि भू-प्रबंध विभाग ने बिना किसी अधिकारिता के इंड्राज परिवर्तन किया है जिसका कि उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।
5. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधी0न्याया0 ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 12.10.2015 को दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित कर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.11.2015 नियत की । तत्पश्चात् पत्रावली में तीन पेशियों तक पत्रावली पीठासीन अधिकारी मुख्यालय के बाहर होने/अवकाश पर होन के कारण तारीख तब्दील की जाती रही है । दिनांक 14.3.2016 को पत्रावली की आदेशिका में पत्रावली वास्ते जवाब सरकार दिनांक 2.5.2016 का अंकन है । तत्पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 2.5.2016 को पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.7.2016 नियत की गई किन्तु उक्त तारीख पेशी से पूर्व पत्रावली दिनांक 18.6.2016 को कैम्प कौर्ट भटियानी में रखी जाकर तहसीलदार, नसीराबाद से जवाब

प्राप्त कर पत्रावली को निर्णित किया है । अधी०न्याया० ने नियत तारीख पेश दिनांक 11.7.2016 से पूर्व पत्रावली को कैम्प कोर्ट में दिनांक 18.6.2016 को रखे जाने के संबंध में वादी/अपीलांट को कब नोटिस जारी किये इस संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । अधी०न्याया० ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर वाद में आवयक तनकियात की रचना भी नहीं की है तथा ना ही वादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है जो निश्चित रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है । अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय आदेश 20 नियम 5 जा०दी० के सिद्धांतों के विपरीत होने से विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी० न्याया० द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा तथा अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी०न्याया० को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वाद एवं जवाब दावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को विधिक प्रक्रिया अनुसार गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर